सुरक्षा विनियम

केबिन बैगेज हेतु विनियम

(i) यात्रियों को अपने हैंड बैगेज में अथवा अपने हाथ/पॉकेट में द्रव्य/जैल/पेस्ट अथवा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं अपने साथ वहन करने की अनुमति नहीं होगी। केवल प्रेस्क्रिप्शन के साथ दवाइयां, इनहेलर तथा बेबी फूड ले जाने की अनुमति है।

(ii) तथापि विमान में यात्रियों को अपनी यात्रा हेतु द्रव्य वस्तुएं/जैल/पेस्ट अथवा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं कम मात्रा में अलग से पारदर्शी, सील की जा सकने वाली एक लीटर के प्लास्टिक बैग में ले जाने की अनुमति होगी। तथापि किसी भी वस्तु की मात्रा 100 मिली से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक बैग में रखी वस्तु आसानी से बैग में आ जानी चाहिए तथा कैरी ऑन बैगेज के अतिरिक्त इस सामान की निर्धारित स्क्रीनिंग तथा सुरक्षा जांच की जाएगी।

(iii) द्रव्य, जैल अथवा एयरोसोल जिसके तहत पेय पदार्थ, शैम्पू, सनटैन लोशन, क्रीम, टूथ पेस्ट, हेयर जैल, हेयर स्प्रे, लिक्विड कॉस्मेटिक्स अथवा इसी प्रकार के अन्य सामान सम्मिलित हैं।

(iv) ड्यूटी पर जा रहे उड़ान कर्मी/केबिन कर्मी सदस्यों को उड़ान में यात्रा के दौरान द्रव्य, जैल अथवा एयरोसोल के वहन पर प्रतिबंध से छूट प्राप्त है। तथापि वे इस प्रकार के वस्तुएं अपनी यात्रा आवश्यकता के अनुसार कम मात्रा में ले जा सकेंगे।

(v) विमान प्रचालक इन निर्देशों का व्यापक प्रचार करेंगे तथा ऊपर दिए गए प्वाइंट (ii) में दिए गए निर्देशों के अनुरूप, सुरक्षा जांच के समय ऐसी वस्तुओं की घोषणा के लिए यात्रियों को सूचित किया जाएगा।

2. मौजूदा निर्देश पहले से ही लागू हैं जिसके अनुसार, विमान में यात्रा के दौरान निर्धारित माप का केवल एक हैंड बैगेज (इसके अतिरिक्त ऊपर दिए गए प्वाइंट (ii) के अनुसार एक लीटर का प्लास्टिक बैग) ले जाने की अनुमति है।